न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 27/2021

अपीलाण्ट	बनाम्	रेस्पोडेण्ट
राजूराम पुत्र पकारामजी		राजस्थान सरकार (भूमिधारी)
जाति सीरवी, निवासी ग्राम कोटडी,		जरिये तहसीलदार, देसूरी
तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)		जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थितः–

(1) अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मण के. चौधरी

(2) रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 24/2/2022

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार, देसूरी (भू.अ.) द्वारा आदेश दिनांक 22.10.2021 राजस्व प्रकरण संख्या 723/2021 बअनवान सरकार बनाम् राजूराम में पारित किया, उस आदेश को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई है। अपील अन्दर म्याद पेश है, जिसे दर्ज रेजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओरस राजकिय अधिवक्ता उपस्थित। बहस उभयपक्ष सूनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने बहस के दौरान अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए बताया कि सरहद मौजा ग्राम कोटड़ी, तहसील देसूरी में हाल खसरा नं. 145 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नं. 158/915 रकबा 1.57 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आगोर एवं खसरा नं. 154 रकबा 3.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. तालाब की भूमियॉ आई हुई स्थित है, जिसके कुल रकबा में से क्रमशः रकबा 0.06 हैटेयर (दीवार), रकबा 0.01 हैक्टेयर (तारबन्दी) एवं रकबा 0.01 हैक्टेयर (तारबन्दी) पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए पटवारी हल्का ने टी.पी. रिपोर्ट तैयार की एवं उसके आधार पर तहसीलदार महोदय, देसूरी द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के अन्तर्गत बअनवान सरकार बनाम् राजूराम के प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट के जवाब व दस्तावेजों को नजर अन्दाज करते हुए पटवारी हल्का की एकपक्षीय मौका रिपोर्ट 26.06.2021 व टी.पी. रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 को ही आधार

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

मानते हुए अपीलाण्ट निर्णय विधि विरूद्ध व राजनैतिक दबाव में आकर पारित किया गया है। जिसके तहत गैर सायल/अपीलाण्ट के विरूद्ध लगान रूपये 26 का 50 गुणा राशि रूपये 1300/-- जुर्माना एवं भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश किये गये।

पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2021 के अनुसार अपीलाण्ट का खसरा नं. 145 रकबा 0.07 किस्म गै. मु. बेरा भूमि पर दीवार निकाल कर अतिक्रमण माना है। वहीं दूसरी तरफ पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार, देसूरी के समक्ष टी.पी. रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 के अनुसार खसरा नं. 145, 158/915 व 154 पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण माना है। ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का द्वारा अपनी दोनों रिपोर्टो में विरोधाभास है तथा उक्त रिपोर्टो के साथ अपीलाण्ट का कौनसे कितने भाग पर अतिक्रमण है, उसके सम्बन्ध में भी नजरी नक्शा साथ संलग्न नहीं किया गया है। जिससे ये पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं है कि अपीलाण्ट द्वारा किस भाग पर कितना अतिक्रमण है। इसके बावजूद भी तहसीलदार, देसूरी द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध जोर--जबरदस्ती दस्तावेजों के विपरीत एवं क्षैत्राधिकार से परे जाकर नियम विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है।

खसरा नं. 145 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम पंचायत के खाते में इन्द्राज है एवं उक्त खसरा नं. के अडोअड खसरा नं. 144 गै.मु. आबादी की भूमि आई हुई स्थित है, जहॉ अपीलाण्ट के नाम ग्राम पंचायत द्वारा आबादी पट्टा जारी किया हुआ है। खसरा नं. 145 में अपीलाण्ट व अन्य खातेदारों का पुश्तैनी बैरा खुदा हुआ है, जिसका उपयोग पास में ही स्थित खातेदारी खसरा नं. 146, 147, 148, 149 व 150 में सिंचाई हेतु किया जाता आ रहा है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, देसूरी द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज भूमि के सम्बन्ध में अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज करने योग्य है।

खसरा नं. 158/915 व खसरा नं. 154 की भूमियों पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण माना है वह भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि उपरोक्त भूमियों के अडोअड अपीलाण्ट व अन्य सह--खातेदारों की पुश्तैनी खातेदारी भूमिया आई हुई स्थिति है, जहॉ पूर्वजों के समय से धोरापाली कर रखी है एवं सभी खातेदारों द्वारा मौके पर संयुक्त रूप से तारबन्दी करवा रखी है। ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का की मौका एवं टी.पी. रिपोर्ट के आधार पर बिना अतिक्रमण भाग के नजरी नक्शे के केवल अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर एकतरफा कार्यवाही चलाई जाकर बिना मौका एवं रेकर्ड की जॉच किये विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो काबिले खारिज योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (बाली)
पाली (राज.)

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया की अपीलाण्ट श्री राजूराम पुत्र श्री पकाराम जाति सीरवी निवासी कोटडी तहसील देसूरी ने मौजा ग्राम कोटडी, तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 145 किस्म गै.मु. बैरा, खसरा नम्बर 158/915 किस्म गै.मु. आगोर व खसरा नम्बर 154 किस्म गै.मु. तालाब रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से दीवार व तारबन्दी कर अतिक्रमण कर रखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् प्रकरण संख्या 723/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलाण्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.10.2021 को अपीलाण्ट को बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2021 विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोक किया। सरहद मौजा ग्राम कोटड़ी, तहसील देसूरी में हाल खेसरा नं. 145 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नं. 158/915 रकबा 1.57 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आगोर एवं खसरा नं. 154 रकबा 3.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु. तालाब की भूमियॉ आई हुई स्थित है, जो की अपीलाण्ट व अन्य 17 सहखातेदारो की खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान 146 से 152 तथा 155 व 156 कुल खसरान 9 कुल रकबा 6.49 हैक्टेयर भूमि के अडोअड़ स्थित हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.10.2021 में यह उलेखिखत नहीं किया हैं कि अपीलाण्ट का अतिक्रमित क्षैत्र के कौनसे कितने भाग पर अतिक्रमण है तथा संबधित पटवारी द्वारा इस सबंध में कोई नजरी नक्शा भी रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नहीं किया हैं। जिससे ये पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं है कि अपीलाण्ट द्वारा किस भाग पर कितना अतिक्रमण है।

इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2021 पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं। अतः तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2021 को अपास्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

निर्णय आज दिनांक 24/2/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)